

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वाद पत्र संख्या 57/2018 GCMS NO. 2018/00334

उनवानी मदन आदि बनाम घीया देवी आदि
अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट 1955 व
धारा 136 एल आर एक्ट 1956

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

22.07.2024

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में सुनवाई हेतु अधिवक्ता वादीगण को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता वादीगण हाजिर आये। अधिवक्ता वादीगण को सुना गया। पत्रावली की गत आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर पाया कि वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से 9, 29 से 35 की तामील करवाये जाने हेतु बार-बार आदेश दिये जाने के उपरान्त भी वादीगण ने दावा दायरी से लेकर आज तक प्रतिवादी संख्या 1 से 9, 29 से 35 की तामील नहीं करवाई है। इससे यह जाहिर होता है कि वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से 9, 29 से 35 की तामील कराने में कोई रुची नहीं है। बार बार आदेश दिये जाने के बावजूद भी पूर्व आदेशिकाओं की पालना बिना किसी उचित कारण के जानबूझ के नहीं की जा रही है। अतः वादीगण का वाद तामील के अभाव में आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



(Signature)
24/7/24

(सविता शर्मा)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला नीमकाथाना (राज0)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी